1033

582

रसीद दस्तावेज वगैरह 57582

दफ्तर .... मुकाम ....

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	बैनामा कि. 1741500	14110	

तारीख .... 2 MAY 2013 उप-पंजीयक

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897250 F 897250

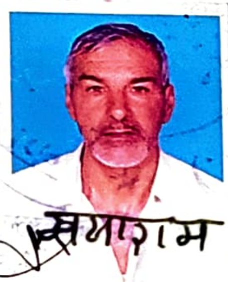

//जय श्री दादाजी की//

विक्रय-पत्र

कीमती-17,41,500/- सत्रह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रु.

संपत्ति वाके ग्राम "दोंदवाडा" पटवारी हल्का नंबर - 38, राजस्व निरीक्षक मण्डल - छैगाँवमाखन, विकास खंड - छैगाँवमाखन, तहसील - खण्डवा, जिला - पूर्व निमाड, के भाग में स्थित है।

बिक्रीत संपत्ति असिंचित रकबे की है। विक्रेता के पास भू - अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग - 1 है, जिसका क्रमांक एल.आई./028804 है। बिक्रीत संपत्ति राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर स्थित नही है।

स्टाम्प शुल्क	-	87,075.00
पंचायत शुल्क	-	17,415.00
उपकर	-	4,353.00
अधिक	-	157.00
कुल	-	1,09,000.00

विक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भूदान की नही है। विक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मद मे दर्ज है। इस लेख के दोनो पक्षकार मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नही करते है।

जसवन्त

निरंतर...2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH F 897251

विक्रेता ने नीचे लिखी संपत्ति किसी पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किसी अन्य को पूर्व में हस्तांतरित नहीं की है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ''22'' ''क'' के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

<u>-:: विक्रेता का नाम ::-</u>

01. जसवंत पिता श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 170, ग्राम टाकलीमोरी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड (मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/283/186376)

उप पंजीयक

02. मयाराम पिता श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 170, ग्राम टाकलीमोरी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड (मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/283/186378)

03. दयाराम पिता श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 253, ग्राम टाकलीमोरी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड (मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/283/186380)

04. रामप्रसाद पिता श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 170, ग्राम टाकलीमोरी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड (मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/283/186382)

उप पंजीयक

जसवन

निरंतर...3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897252

05. शोभाराम पिता श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 170, ग्राम टाकलीमोरी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/283/186384)

06. पुनईबाई पुत्री श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 402/क, ग्राम कालमुखी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - FMT1572833)

07. रमाबाई पुत्री श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 86, ग्राम गुजरखेडी, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/282/099512)

08. जसौदाबाई पुत्री श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 162, ग्राम पालदा, तहसील इंदौर, जिला इंदौर
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - RMP0073197)

09. प्रभाबाई पुत्री श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 324, ग्राम पंधाना, तहसील पंधाना, जिला पूर्व निमाड
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - MP/34/283/393701)

निरंतर...4

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897253

10. भागाबाई उर्फ आशाबाई पुत्री श्री देवराम, जाति लोढा तंवर, निवासी 87, न्यू बीजलपुर, राऊ, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - RMP7282171)

-:: **क्रेता का नाम** ::-

01. श्री कमलेश सेठी पिता श्री माणकचंद सेठी, जाति जैन, निवासी 421/2, भवानी माता गली, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड (PAN-AFBPS5664L)
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - CZW3772944)

02. श्रीमती आशा पति श्री कमलेश सेठी, जाति जैन, निवासी 421/2, भवानी माता गली, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड (PAN-BEUPS0595F)
(मतदाता परिचय पत्र क्रमांक - CZW3772951)

-:: **प्रतिफल** ::-

विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि 17,41,500/- अक्षरी सत्रह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र विक्रेता ने क्रेता से गवाहों के समक्ष नगदी प्राप्त कर लिये है, सो भरपाये ।

निरंतर...5

जसवन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897254

-:: संपत्ति का विवरण ::-

संपत्ति वाके ग्राम "दोंदवाडा" पटवारी हल्का नंबर - 38, राजस्व निरीक्षक मण्डल - छैगाँवमाखन, विकास खंड - छैगाँवमाखन, तहसील - खण्डवा, जिला - पूर्व निमाड, के भाग में स्थित है, जिसका खेत खसरा नंबर 878 रकबा 1.29 हैक्टयर, लगान 1.35 रुपये की है, पूरी 1.29 हैक्टयर जमीन विक्रेता ने क्रेता को इस लेख से बिक्री की है, जिसकी चतुरसीमा इस प्रकार है :-

पूर्व को	-	खसरा नंबर 887 शासकीय जमीन
पश्चिम को	-	खसरा नंबर 876 की जमीन
उत्तर को	-	खसरा नंबर 877/1, 877/2 एवं 877/3 की जमीन
दक्षिण को	-	खसरा नंबर 879 की जमीन है।

सो उपरोक्त चतुरसीमा के मध्य की 1.29 हैक्टयर जमीन मय, हक, मालकी एवं दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित विक्रेता ने क्रेता को बिक्री करके मौके पर क्रेता के कब्जे मे कर दी है। अब मौके पर विक्रेता की उक्त खसरा नंबर की कोई शेष जमीन नहीं है। बिक्रीत जमीन में आने जाने का रास्ता जैसा पहले से है, जिससे होकर विक्रेता बिना बाधा के सतत रुप से मय गाडी बैल, पैदल, मवेशी, कास्तकारी सामान, ट्रेक्टर ट्राली आदि सहित के आते जाते रहे है, उसी रास्ते से अब आप क्रेता ने आना जाना।

ज सत्तन

निरंतर...6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH F 897255

01. ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है। उपर लिखी संपत्ति मे विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नही है। उपर लिखी संपत्ति राजस्व प्रपत्रों में विक्रेता के नाम से दर्ज है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से हस्तांतरण करने का पूरा - पूरा हक व अधिकार प्राप्त है।

02. ऐसा कि, विक्रेता को पारिवारिक खर्च, लाभप्रद विनियोजन एवं दीगर कार्य हेतु रुपयो की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकताओ को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 17,41,500/- अक्षरी सत्रह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र तय हुआ है। उक्त मूल्य मे क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है। जो विक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है, इससे अधिक मूल्य आने की संभावना नही है, अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को 17,41,500/- अक्षरी सत्रह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर

निरंतर...7

जसवन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897256

ली है, सो पाकर इसके एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वास्ते क्रेता को विक्रय करके आज मौके पर जैसी एवं जिस हालत में है, उसी हालत में विक्रेता ने क्रेता के कब्जे मे कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर दो गवाहो के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है ।

03. अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहे वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना । बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है ।

04. अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना । आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने मे जहॉ भी विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथनो की आवश्यकता होगी, विक्रेता आप क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे ।

05. बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक से पहले तक का बकाया लगान विक्रेता अदा करेगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने देते जाना ।

जसवन

निरंतर...8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897257

06. बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारिसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगडा, आदि रहा नही, अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शख्स ने कोई हक, दावा,अधिकार, झगडा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रदद व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा बिक्रीत संपत्ति पर कायम रहेगा ।

07. बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक, अर्द्धशासकीय बैक, वित्तीय संस्था, साहूकार, समिति आदि का कोई कर्ज, भार इत्यादि नही है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कही पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, दान, बिक्री, गिरवी, वसीयत आदि मे की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार व बोझे से मुक्त साफ एवं पाक हालत मे संपत्ति बेची है ।

08. बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य किसी विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नही है । बिक्रीत संपत्ति बाबत् कोई विवाद पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी मे दोष पाये जाने से बिक्रीत संपत्ति संपूर्ण अथवा जुज भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से

निरंतर...9

ज.सवन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 897258

निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रुपयो के मय ब्याज एवं खर्चे सहित के देनदार एवं जवाबदार विक्रेता रहेगे और आप क्रेता, विक्रेता से एवं विक्रेता की अन्य चल अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहोगे, इसमे हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नही रहेगी। बिक्रीत संपत्ति विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझे की आप क्रेता को बिक्री की है।

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपनी राजी-खुशी से, बिना किसी डर दबाव, के विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर गवाहो के समक्ष लिख दिया सो सही, इति खंडवा, दिनांक 24.05.2018

हस्ताक्षर विक्रेता

जसवन्त

मयाराम

दयाराम

रामप्रसाद

निरंतर...10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

F 897259

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

हस्ताक्षर

नाम - मनीष सेठी

पिता - श्री विमलचंद सेठी

पता - 54, जैन मंदिर मार्ग, खण्डवा

म.प.प.क्र.-MP/34/284/219138

02. हस्ताक्षर

नाम - कडूदास सांवले

पिता - श्री नारायण सांवले

पता - 241, जसवाडी मार्ग, खण्डवा

म.प.प.क्र.-RNR9059809

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

उभयपक्षो के कहे अनुसार व दी गई माहिती व विवरण अनुसार इस दस्तावेज का प्रारुप मेरे द्वारा तैयार करवाया गया है ।

अधिवक्ता, खंडवा

नोट काटपीट नहीं है ।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–खंडवा। जिला–खंडवा

प्रकरण कमांक 33/अ–2/2014–2015
मौजा – ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील–खंडवा।
1– श्री कमलेश सेठी पिता माणकचंद सेठी,
2– श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी
निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला–खंडवा। .... आवेदक।

।। आदेश ।।
(पारित दिनॉक 31–03–2015)
(म0प्र0भू0रा0संहिता–1959 की धारा 172 सहपठित धारा–59 के अन्तर्गत पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री कमलेश पिता माणकचंद सेठी अन्य–एक निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरूण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 878 रकबा 1.290 हैक्टर का व्यपवर्तन ''औघोगिक प्रयोजनार्थ (फुड–सीड्स प्रोसेसिंग) हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी–1, आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये है। साथ ही लेख किया कि म0प्र0राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम–2003. संशोधन दिनॉक 3 मई–2003 अनुसार म0प्र0भू0रा0संहिता की धारा 172 का संशोधन किया है, जिसके अनुसार ''यदि किसी ऐसी भूमि का, जो कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उघोग के प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखंड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी'' और ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई अनुज्ञा अपेक्षित नही है।

2– उक्त आवेदित कृषि ,पड़ती भूमि को भिन्न ''औघोगिक (फुड–सीड्स प्रोसेसिंग) प्रयोजनार्थ'' हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नही हुई। अधीक्षक, भू–अभिलेख परि. एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रातिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3– मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनयम–2003 संशोधन दिनॉक 3 मई–2003 धारा 172 में हुए संशोधन तथा प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 2–1/2013/सात/शा.6 दिनॉक 25 जून–2014 में वर्णित नियम /प्रावधानों का अवलोकन किया, चूंकि आवेदक द्वारा न्यायालय में भूमि औघोगिक प्रयोजन व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, ग्राम दोंदवाड़ा की आवेदित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होकर खंडवा विकास योजना से भिन्न क्षेत्र में स्थित है तथा ग्राम दोंदवाड़ा की जनपद पंचायत, छैगांवमाखन तहसील–खंडवा की जनसंख्या 1500 है।

4- अधीक्षक, भू-अभिलेख परि./राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं0 878 स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प0ह0नं0-38 ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा, की भूमि खसरा नं0 878 रकबा 1.290 हैक्टर भू0रा0 रूपये 1=35 आवेदक श्री कमलेश पिता माणकचंद एवं श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में संयुक्त रूप से भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदक ने उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि को कृषि पड़ती भिन्न प्रयोजन औघोगिक फुड सीड्स प्रोसेसिंग प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर रिक्त है, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि विशिष्ट ग्राम में स्थित नही है और ना ही खंडवा विकास योजना में शामिल है, भूमि खंडवा विकास योजना से भिन्न ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नही है। भूमि में से विघुत लाईन जा रही है। भूमि का व्यपवर्तन औघोगिक फुड-सीड्स प्रोसेसिंग प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा न्यूसेंस नही होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1,290 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 138854 वर्गफीट (12900 व0मी0) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व दिशा में	-	शासकीय भूमि खसरा नं0 887
पश्चिम दिशा में	-	खसरा नं0 876 की भूमि
उत्तर दिशा में	-	खसरा नं0 877/1-2-3 की भूमि
दक्षिण दिशा में	-	खसरा नं0 879 की भूमि

प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनॉक 10 जुलाई-2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्ननिर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोंदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील-खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014-15 अनुसार बाजार मूल्य रूपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हजार नौ सौ रूपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस मान से आवेदित भूमि कुल रकबा 1.290 हैक्टर (12900 व0मी0/138854 व0फी0) का गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य रूपया 30,19,761=00 (तीस लाख उन्नीस हजार सात सौ इकसठ रूपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औघोगिक भू-परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,040=00 वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रूपया 3,020-00 होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रूपया 30,197=00 राजस्व वर्ष 2014-2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू-राजस्व रूपया 1=35 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतदद्वारा स्वीकृत किये जाते है।

5- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा, खसरा नं0 878 रकबा 1.290 हैक्टर भू0रा0 रूपये 1=35 श्री कमलेश पिता माणकचंद एवं श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में संयुक्त रूप से भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक फुड, सीड्स प्रोसेसिंग प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

-3-

अतएव् उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाडा तहसील–खंडवा की भूमि खसरा नं0 878 रकबा 1.290 हैक्टर भूमि का ''औघोगिक फुड/सीड्स प्रोसेसिंग प्रयोजनार्थ'' हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1– व्यपवर्तित भूमि (कुल रकबा 1.290 हैक्टर) क्षैत्रफल 12900 व0मी0/138854 व0फी0 भूमि पर औघोगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,040=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 3,020=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 30,197=00 कायम किया जाता है। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014–2015 से देय होगा। कृषि भू0रा0 1=35 कम किया जाता है।

2– व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, मानचित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जावेगा तथा उघोग स्थापना का पंजीयन जिला उघोग केन्द्र, खंडवा में कराया जाना होगा।

3– पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रदूषण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) मध्यप्रदे प्रदुषण निवारण मंडल से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– विघुत लाईन के नीचे अथवा विघुत लाईन से प्रभावित क्षेत्र में विकास/निर्माण क प्रतिबंधित होगा।

5– भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से करना आवश्यक होगा। वर्षा/छत के प की हार्वेस्टिंग प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था म.प.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) दिये गये विकल्पों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। भवन में निःशक्त व्यक्तियों के लिये र रहित आवागमन हेतु उचित प्रावधान (रेम्प इत्यादि) करना अनिवार्य होगा।

6– स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें, जिन वृक्षों को काटना हो उसके नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा। भूमि–भूखंड का उपविभाजन नही होगा।

7– प्रस्तावित उपयोग से संबंधित समस्त सुरक्षा साधनों की स्वयं को व्यवस्था करना अनि होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की भूमि पर करना होगा। स्वयं की भूमि के अति आसपास के क्षैत्र या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया जावेगा।

8– भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने आदेश में उल्लेखित शर्तो के उल्लंधन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

यह आदेश आज दिनॉक 31–03–2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी कि

(शाश्वत शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,(
अनुभाग–खंडवा